सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य
(मैनुअल–2)

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–26 / 2003 दिनांक 16 मई, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के प्रिंन्ट मीडिया (समाचार पत्र / पत्रिका) प्रभाग, इलैक्ट्रानिक मीडिया प्रभाग तथा सोशल मीडिया प्रभाग द्वारा समस्त आर.ओ. ऑनलाईन जारी किये जायेंगे। उक्त से संबंधित समस्त बीजकों का भुगतान भी वत्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान संख्याः–14 के "लेखाशीर्षक–2220 सूचना तथा प्रचार–60–अन्य–101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार–05–अधिष्ठान–00 के मानक मद–24–विज्ञापन बिकी और विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय" के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक से ऑनलाईन किया जायेगा।

उपरोक्त प्रभागों से संबंधित समस्त कार्मिक समस्त आर.ओ. ऑनलाईन निर्गत करेंगे तथा उक्त आर.ओ. के सापेक्ष प्राप्त बीजकों का भुगतान भी ऑनलाईन पद्वति के अनुसार ही प्रस्तुत करेंगे।

इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त यदि किसी पटल सहायक द्वारा मैनुअल रूप से आर.ओ. एव भुगतान की पत्रावली प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। निर्गत आर.ओ. के सापेक्ष भुगतान किये जाने के उपरान्त अंतिम प्रविष्टि के रूप में लेखा प्रभाग द्वारा भुगतान तिथि का अंकन किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्याः 22 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–26 / 2003, दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त विभागीय अधिकारी।
3. प्रिन्ट मीडिया प्रभाग, इलक्ट्रानिक मीडिया प्रभाग, सोशल मीडिया प्रभाग एवं लेखा प्रभाग में कार्यरत समस्त कार्मिकों को अनुपालनार्थ।
4. श्री संतोष थपलियाल, प्रोग्रामर।
5. विभागीय वेबसाइट हेतु।

16/5

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 71 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–06 / 2020 दिनांक : 05 जून, 2020

कार्यालय–आदेश

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांकः 487 / PS-CS/2020, दिनाक 02 जून, 2020 के अनुक्रम में COVID–19 के रोकथाम हेतु महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाऐं, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 18 मई, 2020 को निर्गत Guideline के implementation & application हेतु सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अपर निदेशक, **डॉ. अनिल चंदोला (मो.नं. 7055007001, तथा ई–मेल आई.डी.–infodg.uk@gmail.com)** को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

2. विभागीय नोडल अधिकारी / अपर निदेशक, डॉ. अनिल चंदोला कार्यालय में किसी व्यक्ति के COVID–19 के लक्षण से ग्रसित होने की स्थिति में ई–मेल के माध्यम से तत्काल जिला मजिस्ट्रेट / मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचित करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

पत्रांकः 71 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 06 / 2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
6. डॉ. अनिल चंदोला, अपर निदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34 / 2007 दिनांक : 24 जून, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री चन्द्र सिंह तोमर को, नियमित चयनोपरान्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–10, वेतनमान ₹ 56100–177500, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री चन्द्र सिंह तोमर को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या 381 (1) / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–34 / 2007, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34/2007 दिनांक : 24 जून, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी, श्री मनोज कुमार शुक्ला को, नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8, वेतनमान ₹ 47600–151100, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री मनोज कुमार शुक्ला को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या 382 (1) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–34/2007, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135-2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-34 / 2007 दिनांक : 24 जून, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक अधिकारी, श्री रामपाल सिंह रावत को, नियमित चयनोपरान्त, व्यवस्थाधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7, वेतनमान ₹ 44900-142400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री रामपाल सिंह रावत को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या 383 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)-27 / 2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखाएं।
5. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित हो वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. संबंधित कार्मिकों को।
8. सम्बन्धित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in   दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक :   / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–34 / 2007   दिनांक : 24 जून, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित प्रधान सहायकों को, नियमित चयनोपरान्त, प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–7, वेतनमान ₹ 44900–142400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है:–

1. श्री दयाकृष्ण पालीवाल
2. श्री हरेन्द्र सिंह
3. श्री मुकेश कुमार

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उपरोक्त कार्मिकों को प्रधान सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या 384 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–34 / 2007, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. समस्त विभागीय अधिकारी / प्रभाग / शाखाएं।
4. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
5. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. संबंधित कार्मिकों को।
7. सम्बन्धित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
8. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

पंजीकृत

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07 / 2005 दिनांक 10 जुलाई, 2020

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या: 986 दिनांक 13.01.2020 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर चयनित **श्री सुरेन्द्र कुमार**, (अनुक्रमांक–2604390496, श्रेणी अनुसूचित जाति) पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, अहरपुरा, पो.ओ. महुवाखेड़ागंज जनपद उधमसिंह नगर को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालय, पिथौरागढ में कनिष्ठ सहायक के पद, लेवल–3, ₹ 21700–69100 (पूर्व वेतनमान ₹ 5200–20200, ग्रेड वेतन ₹ 2000) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगा।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत / देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र / प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे:–
    1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
    2. समस्त चल–अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसका वह स्वामी हो।
    3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र।
    4. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ–पत्र।
    5. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सकिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।
    6. अंतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र।
    7. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
    8. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी / उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।
    9. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
    10. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

——कमशः पृष्ठ–2 / –

पंजीकृत

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः ५५३ / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07 / 2005 दिनांक १० जुलाई, 2020

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्याः 936 दिनांक 30.12.2019 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर चयनित **श्री संजय सिंह** (अनुक्रमांक–1231001186, श्रेणी सामान्य) पुत्र श्री विजय सिंह, 41, ओम विहार, लेन न.–5, माता मंदिर रोड, धर्मपुर, देहरादून को सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में अनुवादक के पद, लेवल–6, ₹35400–112400 (पूर्व वेतनमान ₹ 9300–34800, ग्रेड वेतन ₹ 4200) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती हैः–

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी अनुवादक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगा।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थी को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थी को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत / देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र / प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगेः–
    1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
    2. समस्त चल–अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसका वह स्वामी हो।
    3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र।
    4. वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति / पत्नी न होने की घोषणा / शपथ–पत्र।
    5. दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके संबंधी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।
    6. अंतिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र।
    7. किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के संबंध में एक घोषणा पत्र।
    8. समस्त शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में जीवित पंजीकरण से संबंधित प्रमाण–पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी / उप आरक्षण श्रेणी से संबंधित प्रमाण–पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।
    9. लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र प्राग्वृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात उसे सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नही पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाए। जिसके लिए वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नही होगा।
    10. चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन फार्म आदि भरकर (संलग्न)।

---क्रमशःपृष्ठ–2 / –

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः 545/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–19/2019 दिनांक 10 अगस्त, 2020

कार्यभार प्रमाणक

प्रमाणित किया जाता है कि वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय आदेश संख्याः 317/1374/XXVII (6)/छः/2019/2020, दिनांक 05 अगस्त, 2020 के कम में, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क महानिदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून का प्रभार आज दिनांक 10 अगस्त, 2020 के पूर्वाह्न में हस्तान्तरित किया गया है।

मुक्त अधिकारी

(सुनील कुमार रतूड़ी)

मोचक अधिकारी

(शशि सिंह)

प्रतिहस्ताक्षरित

(डॉ.मेहरबान सिंह विष्ट)
महानिदेशक, सूचना

संख्याः 545 (1)/सूएवंलो.स.वि.(प्रशा.)–19/2019, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
7. शाखा प्रमुख, भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, देहरादून/साईबर ट्रेजरी शाखा, देहरादून।
8. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाईल हेतु।

(डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पंजीकृत

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: 583 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–07 / 2005 दिनांक : 22 अगस्त, 2020

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, देहरादून के पत्र संख्या: 111 दिनांक 10 जुलाई, 2020 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के आधार पर सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में **संरक्षक–कम–डाटा–एन्ट्री आपरेटर** के पद, लेवल–2 ₹ 19900–63200 (पूर्व वेतनमान ₹ 5200–20200, ग्रेड वेतन ₹ 1900) पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित कार्यालय में तैनात किया जाता है:–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम, श्रेणी एवं पत्र व्यवहार का पता	तैनाती कार्यालय
1	2	3
1.	**श्री बृजमोहन सिंह, (सामान्य)** (अनुकमांक–1235000568) पुत्र श्री उमेद सिंह, द्वारा– श्री विजेन्द्र सिंह, कैनरा बैंक, क्लेमेन्टटाउन, देहरादून।	जिला सूचना कार्यालय, चमोली।
2.	**श्री प्रमोद सिंह बर्तवाल** (अ0पि0व0)(अनुकमांक–1227000209) पुत्र श्री उमेद सिंह बर्तवाल, ग्राम– बड़ेथी, पो.आ.–मातली, तहसील–डुण्डा, जिला–उत्तरकाशी।	जिला सूचना कार्यालय, पौड़ी।
3.	**सुश्री आशा गोस्वामी (अ0पि0व0)** (अनुकमांक–1201000902) पुत्री श्री गणेश गिरी गोस्वामी, नियर उद्योग कालोनी, दुगालखोला, अल्मोड़ा।	जिला सूचना कार्यालय, चम्पावत।
4.	**कु. अनीता ढौंडियाल (सामान्य)** (अनुकमांक–1217000455) पुत्री श्री विशम्भर दत्त, लेन नं–6, श्री रामपुरम कालोनी, नियर के.सी.पब्लिक स्कूल, गोविन्दगढ़, देहरादून।	जिला सूचना कार्यालय, रुद्रप्रयाग।

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण अथवा चरित्र एवं प्राग्वृत सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो यह नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी **संरक्षक–कम–डाटा–एन्ट्री आपरेटर** के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेगें।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत / देय मंहगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र / प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे:–
   1. अधिकृत शासकीय चिकित्सक का स्वस्थता प्रमाण–पत्र।
   2. समस्त चल–अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा, जिसका वह स्वामी हो।
   3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के संबंध में घोषणा–पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र।

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–27/2011 दिनांक : 22 अगस्त, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कनिष्ठ सहायकों को, नियमित चयनोपरान्त, वरिष्ठ सहायक, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–5, वेतनमान ₹ 29200–92300 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है:–

1. श्री विजय कुमार रावत
2. श्री कैलाश सिंह रावत
3. श्री गोपाल सिंह
4. श्री प्रदीप असवाल
5. श्री अरूण कुमार
6. श्री मोहम्मद दिलशाद
7. श्रीमती विदिशा नेगी
8. श्रीमती माधुरी
9. श्री विपिन चन्द्र
10. श्री मुकेश कुमार
11. श्रीमती पारूल चौधरी
12. श्रीमती संतोषी नेगी
13. श्री राजवीर सिंह भण्डारी

2. उक्त पदोन्नति इस शर्त के साथ की जाती हैं कि यदि वरिष्ठ सहायक के फ्रिज हुए पद शासन द्वारा पुर्नजीवित नहीं किये जाते हैं और यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो उक्त पदों के सापेक्ष प्रोन्नत हुए कार्मिक को कनिष्ठ सहायक पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

3. उपरोक्त क्रमांक–05, क्रमांक–10 तथा क्रमांक–13 पर अंकित कार्मिक क्रमशः श्री अरूण कुमार, श्री मुकेश कुमार एवं श्री राजवीर सिंह भण्डारी वर्तमान तैनाती स्थान पर ही वरिष्ठ सहायक के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। इनका वेतन जिला सूचना कार्यालय, हरिद्वार, जिला सूचना कार्यालय, चम्पावत तथा जिला सूचना कार्यालय, रूद्रप्रयाग में रिक्त सहायक लेखाकार के पद के विरूद्ध आहरित किया जायेगा। शेष समस्त कार्मिक सूचना निदेशालय, देहरादून में वरिष्ठ सहायक के पद पर अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे।

मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या 586 /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–27/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
3. मुख्य कोषाधिकारी, हरिद्वार/रूद्रप्रयाग/चम्पावत/अल्मोड़ा/पौड़ी गढ़वाल।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भुगतान एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली।
5. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार/रूद्रप्रयाग/चम्पावत/अल्मोड़ा/पौड़ी गढ़वाल।
6. कार्यालयाध्यक्ष/प्रभारी, राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली।
7. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखाएं।
8. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. संबंधित कार्मिकों को।
10. सम्बन्धित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
11. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001 दिनांक 1 सितम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के उपनिदेशक, श्री योगेश मिश्रा को जिला सूचना कार्यालय, उधमसिंह नगर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। श्री योगेश मिश्रा मीडियासेंटर, हल्द्वानी (नैनीताल) के साथ–साथ जिला सूचना कार्यालय, नैनीताल तथा जिला सूचना कार्यालय, उधमसिंह नगर का कार्य भी सम्पादित करेंगे। इसके साथ ही श्री योगेश मिश्रा, उपनिदेशक को कुमाऊ मण्डल का नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्याः 617(1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल/सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल, उधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, उधमसिंह नगर।
5. समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें।
7. मीडिया सेंटर, हल्द्वानी नैनीताल।
8. संबंधित अधिकारी।
9. संबंधित अधिकारियों की निजी पत्रावली हेतु।
10. विभागीय वेबसाइट हेतु।

1.9.2020

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः 668/सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)– 33/2011 दिनांक : 14 सितम्बर, 2020

1. समस्त विभागीय वाहन चालक (मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत)।
2. समस्त विभागीय चतुर्थ श्रेणी (समूह घ) कर्मचारी (मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत)।

"उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2013" के अनुसार विभाग में कार्यरत श्रेणी 'घ' के वे कर्मचारी एवं वाहन चालक जो हाईस्कूल की परीक्षा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों को उनके लिए आरक्षित कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति किये जाने का प्रकरण विभाग के विचाराधीन है। अतः पात्र चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को इस पत्र के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिये जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी।

कृपया इच्छुक/पात्र चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') कर्मचारी एवं वाहन चालक समस्त शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रति सहित अपने आवेदन–पत्र इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

परीक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में सूचना पृथक से निर्गत की जायेगी।

11-9
(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक

संख्या– (1)/सू.एव.लो.स.वि.(प्रशा.)–33/2011, तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक महोदय को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त विभागीय अधिकारी (मुख्यालय)/उप निदेशक, सूचना परिसर, राजभवन, उत्तराखण्ड देहरादून/सहायक निदेशक मीडिया सेंटर, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून/प्रभारी मीडिया सेंटर, सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून/सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य सूचना केन्द्र नई दिल्ली तथा समस्त जिला सूचना अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी (समूह 'घ') के कर्मचारियों एवं वाहन चालकों को अपने स्तर से भी उपरोक्त के संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।
3. सूचना पट हेतु।

(डॉ. अनिल चंदोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–11/2003 दिनांक : 05 अक्टूबर, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के मुख्यालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक, श्री विपिन चन्द को शासकीय कार्य हित में अग्रिम आदेशों तक जिला सूचना कार्यालय, अल्मोड़ा से सम्बद्ध किया जाता है।

2. श्री विपिन चन्द को इस कार्य के लिए पृथक से कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ता देय नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

संख्याः 727(1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–11/2003, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
4. जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
5. संबंधित कार्मिक को।
6. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
7. विभागीय वेबसाइट हेतु।

5.X.20

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक
कृते महानिदेशक

3161 / नि.अ.सू.ल.स.वि. । 26-11-2020

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail : infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : 880 / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–31 / 2011 दिनांक : 9 नवम्बर, 2020

1. श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक
2. श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक,

विभाग में रिक्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर पदोन्नति हेतु महानिदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12 नवम्बर, 2020 को प्रातः 11:30 बजे सचिवालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गयी है। उक्त चयन समिति में अधोहस्ताक्षरी तथा आप सदस्य नामित हैं।

कृपया उक्तानुसार चयन समिति की बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(डा. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

सख्या 880 / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–34 / 2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– महानिदेशक महोदय को उपरोक्त के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

3167 प्र.सेवा वा.स.नि. 26-11-2020

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–31/2011 दिनांक : 19 नवम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराख़ण्ड के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, श्री मोहन सिंह स्यूनरी को, नियमित चयनोपरान्त, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–10, वेतनमान ₹ 56100–177500, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य के लिए आवंटित ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री मोहन सिंह स्यूनरी को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या 917 (1) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–31/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित अधिकारी को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।

19.XI.

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

[redacted] 3157 [redacted] 26-11-2020

उत्तराखण्ड सरकार

कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड

सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष : 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक : /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–31/2011 दिनांक : 21 नवम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी, श्री रणजीत सिंह बुदियाल को, नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वेतन मैट्रिक्स में लेवल–8, वेतनमान ₹ 47600–151100, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

2. उक्त पदोन्नति अस्थाई है। यदि सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश से आवंटित ज्येष्ठ कार्मिक द्वारा उत्तराखण्ड, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में कार्यभार ग्रहण किया जाता है तो श्री रणजीत सिंह बुदियाल को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्या 928 (1) /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–31/2011, तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी।
5. निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित की कृपया इसका प्रकाशन आगामी प्रकाशित होने वाले गजट में करते हुए उसकी 20 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सम्बन्धित कार्मिक को।
8. सम्बन्धित अधिकारी की निजी पत्रावली हेतु।
9. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाषः 0135–2662971 / फैक्सः 2662334

पत्रांकः / सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–72 / 2007 दिनांक 21 ~~अक्टूबर~~ दिसम्बर, 2020

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–3 में अंकित पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित है, से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा गया और पाया गया कि परिवीक्षा अवधि में इनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक रहा है। अतः उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों के स्थायीकरण नियमावली–2002 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नांकित कार्मिकों द्वारा उनके नाम के सम्मुख कॉलम–5 में अंकित तिथि को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है:–

क. सं.	कार्मिक का नाम	पदोन्नति का पद	पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री गोपाल सिंह राणा	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	28.02.2018	28.02.2020
2.	श्री पान सिंह बिष्ट	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	06.04.2018	06.04.2020
3.	श्री विजय कुमार	प्रधान सहायक	23.08.2017	23.08.2019
4.	श्री प्रशान्त रावत	वरिष्ठ सहायक	16.08.2018	16.08.2020

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्याः 1056 (1) / सू.एवंलो.सं.वि0.(प्रशा.प्र.)–72 / 2007, तद्दिनांकित
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. संबंधित कार्मिक को।
3. संबंधित कार्मिक की निजी पत्रावली हेतु।
4. विभागीय वेबसाइट हेतु।

(डॉ. अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: / सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2001 दिनांक 04 फरवरी, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों को, उनके अवकाश में रहने अथवा किन्हीं कारणों से अनुपस्थित रहने की स्थिति में मुख्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कराने के उद्देश्य से निम्नानुसार एक–दूसरे का लिंक अधिकारी नामित किया जाता है:–

क्र. सं.	अधिकारी का नाम एवं पद नाम	लिंक अधिकारी का नाम एवं पदनाम
1.	डॉ. अनिल चंदोला, अपर निदेशक	श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक
2.	श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक	श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक
3.	श्री आशिष कुमार त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक	श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक
4.	श्री के.एस. चौहान, उपनिदेशक	श्री नितिन उपाध्याय, उपनिदेशक
5.	श्री नितिन उपाध्याय, उपनिदेशक	श्री के.एस. चौहान, उपनिदेशक
6.	श्री रवि विजारनियां, सहायक निदेशक	श्री नितिन उपाध्याय, उपनिदेशक
7.	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक	श्री शंकर दत्त लोहनी, सहायक निदेशक
8.	श्री शंकर दत्त लोहनी, सहायक निदेशक	श्री रवि विजारनियां, सहायक निदेशक
9.	श्री गोपाल सिंह राणा, मुख्य प्रशासकिन अधिकारी	श्री मोहन सिंह स्यूनरी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
10.	श्री चन्द्र सिंह तोमर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	श्री मोहन सिंह स्यूनरी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
11.	श्री मोहन सिंह स्यूनरी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	श्री चन्द्र सिंह तोमर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

संख्याः 134 (1) / सू.एंवलो.स.वि.(प्रशा.)–03 / 2001, तददिनांकित्।
प्रतिलिपि निम्नांकित् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
3. संबंधित अधिकारियों को।
4. समस्त प्रभाग / शाखायें।
5. संबंधित अधिकारियों की निजी पत्रावली हेतु।

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)
महानिदेशक

कार्यभार –प्रमाणक

प्रमाणित किया जाता है कि कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–1 के अर्द्व.शा.प.स.–150/XXX.-1-2.021 दिनांक 16 मार्च, 2021, जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के कम में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के महानिदेशक के पद का पदभार आज दिनांक 17 मार्च, 2021 की पूर्वान्ह में ग्रहण किया गया ।

अवमुक्त अधिकारी

(डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट)

अवमोचक अधिकारी

(रणवीर सिंह चौहान)

प्रतिहस्ताक्षरित

(दिलीप जावलकर)
सचिव, सूचना

संख्याः 305 A (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–04/2001,दिनांक17 मार्च, 2021

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन,
2. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड सरकार।
7. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमाऊ।
9. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
13. राज्य सम्मपति अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
14. अपर निदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. वित्त अधिकारी, साइबर टेजरी, कोषागार निदेशालय, देहरादून।
16. वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड भवन, नई दिल्ली।
17. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा/ राजपुर रोड़/साइबर ट्रेजरी, देहरादून।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
'सूचना भवन' लाडपुर रिंग रोड, देहरादून
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स: 2662334

पत्रांक: /सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–04/2001 दिनांक 17 मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के नियम 12(डी) तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन संबंधी शासनादेश संख्या: 61/XXVII(7)36/2017, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अपर निदेशक, डॉ. अनिल चन्दोला को कार्यालयाध्यक्ष नामित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रतिनिधायन किया जाता है तथा सक्षम स्तर से कार्य एवं व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ₹ 5,00,000/–(₹ पाँच लाख मात्र) तक के भुगतान पारित करने के लिए भी डॉ. अनिल चन्दोला, अपर निदेशक को अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या: 307 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–04/2001, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, कोषागार निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लेखा प्रभाग के माध्यम से।
4. समस्त विभागीय अधिकारी/प्रभाग/शाखायें, मुख्यालय।
5. संबंधित अधिकारी।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांक: /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–03/2001 दिनांक 20 मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड के संयुक्त निदेशक, श्री राजेश कुमार, कुम्भ मेला, हरिद्वार–2021 के प्रचार–प्रसार तथा मीडिया प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करेंगे। इसके साथ ही कुम्भ मेले में तैनात सूचना विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी श्री राजेश कुमार के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड से संबंधित कुम्भ मेले के समस्त कार्यों के लिए श्री राजेश कुमार को महाकुम्भ मेला–हरिद्वार–2021 की अवधि तक प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या: 331 (1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–03/2001, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
2. सचिव सूचना, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, कैम्प कार्यालय, देहरादून।
4. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला, हरिद्वार–2021
5. स्टाफ आफीसर–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री राजेश कुमार, संयुक्त निदेशक सूचना।
7. जिला सूचना अधिकारी, हरिद्वार।
8. लेखा प्रभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।
10. विभागीय वेबसाईट हेतु।
11. नोडल अधिकारी, कुम्भ मेला, श्री मनोज श्रीवास्तव

(डॉ अनिल चन्दोला)
अपर निदेशक

उत्तराखण्ड सरकार
कार्यालय महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड
सूचना भवन, मसूरी बाईपास, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून।
E-mail: infodg.uk@gmail.com, dg-info-uk@nic.in दूरभाष: 0135–2662971 / फैक्स : 2662334

पत्रांकः /सू.एवंलो.सं.वि.(प्रशा.)–16/2020 दिनांक 25 मार्च, 2021

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश संख्याः 87/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–16/2020, दिनांक 24 जनवरी, 2021 को अतिक्रमित करते हुए महाकुम्भ मेला हरिद्वार–2021 में विभागीय कार्यो के सम्पादन हेतु निम्नांकित विभागीय कार्मिकों को निम्नानुसार महाकुम्भ मेला, हरिद्वार में तैनात किया जाता है:–

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम		महाकुम्भ मेला हरिद्वार में तैनाती अवधि
01.	1. श्री गोपाल सिंह राणा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी 3. श्री केवल सिंह फोटो/फिल्म अधिकारी 5. श्री गोविन्द सिंह विष्ट अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी 7. श्री बहादुर सिंह टैक्निकल सहायक 9. श्री मनीष कुमार पी.आर.डी.स्वयंसेवक	2. श्री रामपाल सिंह रावत व्यवस्थाधिकारी 4. श्री मलकेश्वर प्रसाद मीडिया समन्वयक 6. श्री रईस अहमद चपरासी 8. श्री गजेन्द्र सिंह अनुसेवक	दिनांक 31 मार्च, 2021 से दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक
02	1. श्री आशिष कुमार त्रिपाठी संयुक्त निदेशक 3. श्री के.एस.चौहान उपनिदेशक 5.श्री प्रशांत सिंह रावत वरिष्ठ सहायक	2. श्री योगेश मिश्रा उपनिदेशक 4. श्री कीर्ति सिंह पंवार सहायक लेखाकार 6. श्री अंकित कुमार वैयक्तिक सहायक	दिनांक 10 अप्रैल, 2021 से दिनांक 15 अप्रैल, 2021 तक
03	1.श्री शंकर दत्त लोहनी सहायक निदेशक 3.श्री केवल सिंह फोटो/फिल्म अधिकारी 5.श्री बहादुर सिंह टैक्निकल सहायक 7.श्री विजेन्द्र कुमार पी.आर.डी.स्वंयसेवक	2.. श्री मलकेश्वर प्रसाद मीडिया समन्वयक 4. श्री विजय कुमार प्रधान सहायक 6. श्री गोविन्द सिंह विष्ट अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारी 8. श्री रईस अहमद चपरासी	दिनांक 15 अप्रैल, 2021 से मेला अवधि तक
04	श्री राकेश कुमार धीवान, सहायक लेखाकार		मुख्यालय में महाकुम्भ–2021 के बजट/भुगतान तथा ऑडिट संबंधी कार्य सम्पादित करेंगे।
05.	श्री संजय सिंह, अनुवादक		मुख्यालय में महाकुम्भ–2021 से संबंधित समस्त दस्तावेजों का रखरखाव संबंधी कार्य।

उपरोक्त समस्त कार्मिक निर्धारित तिथि को अनिवार्य रूप से मीडिया सेंटर, हरिद्वार में उपस्थित होकर संयुक्त निदेशक, श्री राजेश कुमार को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। संयुक्त निदेशक, श्री राजेश कुमार Overall Incharge रहेंगे। महाकुम्भ मेला से संबंधित समस्त कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य अपर निदेशक, डॉ. अनिल चन्दोला द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

(रणवीर सिंह चौहान)
महानिदेशक

संख्या:360(1)/सू.एवंलो.स.वि.(प्रशा.)–16/2020, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन।
3. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल/हरिद्वार/देहरादून।
5. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला हरिद्वार–2021।
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, कुम्भ हरिद्वार–2021
7. श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, नोडल अधिकारी कुम्भ मेला–2021
8. संबंधित कार्मिकों को।